जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली—

प्रेस विज्ञप्ति 17.10.2025

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा महिला से छेडछाड व मारपीट करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 12.09.2025 को आदर्शमण्डी क्षेत्रान्तर्गत 03 अभियुक्तगण द्वारा महिला से छेडछाड व मारपीट की घटना कारित की गयी थी। घटना के सम्बन्ध में परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक आदर्शमण्डी को दिये गये थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 17.10.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा महिला से छेडछाड़ व मारपीट करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है तथा दिनांक 13.10.2025 को अभियुक्तगण राजीव पुत्र मोहर सिंह व बबलू उर्फ उपेन्द्र पुत्र अजब सिंह निवासीगण ग्राम सिलावर थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जा चुकी है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.भूरा उर्फ विकास पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सिलावर थाना आदर्शमण्डी शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री ब्रजपाल शर्मा थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

2.है0का0 अमित कुमार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

3.है0का0 रोहित कुमार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली

थाना कैराना पुलिस द्वारा नशीला पदार्थ देकर महिला का गर्भपात करने व गैर इरादतन हत्या करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो दिनाँक 31.07.2025 को श्री दिलशाद पुत्र रौनक निवासी कच्चा कैम्प पूरेवाल कालोनी थाना मॉडल टाउन जनपद पानीपत हरियाणा की गर्भवती बहन शबनम को नशीला पदार्थ देकर गलत तरीके से गर्भपात करने जिससे शबनम की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 16/17.10.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा नशीला पदार्थ देकर महिला का गर्भपात करने व गैर इरादतन हत्या करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.आकाश पुत्र सुभाष निवासी मौहल्ला डाडौला रोड कस्बा व थाना बापौली जनपद पानीपत हरियाणा।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.निरीक्षक श्री योगेन्द्र सिंह थाना कैराना जनपद शामली।

2.उ0नि0 इन्तजार अहमद थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

दिनांक 16/17.10.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.रिहान पुत्र नौसाद निवासी किशनपुर बिराल थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.है0का0 नकुल सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.का0 मयन कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

4.का0 जितेन्द्र सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

साइबर क्राइम थाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ऑनलाइन एप्प के माध्यम से गलती से अन्य खाते में ट्रांसफर हुए 2,55,000/- रुपये की धनराशि को आवेदक को वापस करायी गयी।

अवगत कराना है कि दिनांक 08.10.2025 को साइबर क्राइम थाना शामली पर आवेदक श्री अनिल कुमार पुत्र श्री ऋषिपाल सिंह निवासी डेरा सिंगापुर ग्राम पंचायत-काला माजरा थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा 01 प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसमें आवेदक द्वारा मोबाइल पर एप्प द्वारा पैसे ट्रांसफर करते समय गलती से अन्य बैंक अकांउट में पैसो का आरटीजीएस कर दिया गया जिसमें कुल 2,55,000/- रुपये की अन्य खाते में ट्रांजैक्शन हो गयी थी। जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा साइबर क्राइम पुलिस थाना शामली पर की गयी थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 17.10.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0 पी0 सिंह निर्देशन में व नोडल अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक शामली के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन/साइबर अपराध के कुशल निर्देशन में थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा आवेदक के दिये गये प्रार्थना पत्र पर त्वरित कार्यवाही करते हुए ऑनलाइन अन्य खाते में हुए रुपये के खाताधारक से सम्पर्क कर आवेदक के खाते में 2,55,000/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी। आवेदक की रकम वापस होने पर आवेदक द्वारा पुलिस टीम की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद पत्र दिया गया।

धनराशि वापस कराने वाली साइबर क्राइम थाना पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्रीमती सीमा शर्मा, साइबर क्राइम थाना जनपद शामली।

2.म0का0 तोषी साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली।

3.का0 मधुर कुमार साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली।

4.का0 मुनेन्द्र सिंह साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली।

5.का0 अनुज कुमार कुमार, साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली।

6.का0 अर्चित कुमार साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग का अपहरण करने का प्रयास व पीडिता के परिजनों को डराने- धमकाने के मामलें में वाछिंत 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग का अपहरण करने के प्रयास व पीडिता के परिजनों को अभियुक्त के परिजनों द्वारा डराने- धमकाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 16.10.2025 को थाना कैराना पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में दिनाँक 17.10.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग का अपहरण करने का प्रयास व पीडिता के परिजनों को डराने धमकाने के मामलें में वाछिंत 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.दानिश पुत्र इरफान निवासी हाल पता - मौहल्ला रेत्तेवाला कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली मूल निवासी- ग्राम आमवाला थाना झिझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री संजय पुनिया थाना कैराना जनपद शामली।

2.का0 उधम थाना कैराना जनपद शामली।